

05/12/25

मूलवाद में व प्रार्थना पत्र
में प्रार्थना पत्र श्रीव सुनवाई
पेश होकर प्रार्थना पत्र श्रीव
सुनवाई स्वीकार होने पर
प्रावली पूर्व नियत तारीख
पेशी 16/12/25 से तलब होकर
आज पेश हुई। प्रा. पत्र अस्पष्ट
निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल
वाद विद्रो होने से इस प्रार्थना
पत्र अस्पष्ट की आगे चलाना
संरहीन है।


अतः प्रार्थना पत्र
अस्पष्ट निषेधाज्ञा से सम्बन्धित
मूलवाद का निस्तारण होने
से प्रार्थना पत्र ग 1 में जारी
स्वयं आदेश दिनांक 08/04/25
को निष्प्रभावि करने हुए प्रकरण
को इसी स्तर पर खारिज किया
जाता है। प्रावली नम्बर से रूप
होकर दायित्व दफतर है।

रामोती

सुनीता

Identified by
me.

05/12/25
14/4


अपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर